कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

विद्युत शाखा

कोरबा, दिनांक 27.07.2026

फा.क्र./1569 /विद्युत शाखा/2026/

निविदा आमंत्रण की सूचना

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग (विद्युत कार्य) से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी वर्ग–डी एवं प्रवर श्रेणी में एवं छ.ग. अनज्ञापन मंडल (विद्युत) में उचित क्षेणी में विद्युतीकरण कार्य हेतु **पंजीकृत ए क्लास लाईसेंसी** ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर मैन्युअल निविदा वेबसाईट से डाउनलोड कर त्रि–लिफाफा पद्धति माध्यम से आमंत्रित की जाती है :–

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रू में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	**डे–टू–डे मेन्टनेंस के अन्तर्गत कोसाबाड़ी जोन अन्तर्गत स्थित जवाहर लाल नेहरू अत्याधुनिक सभागृह में स्थापित डी.जी. सेट,साऊण्ड सिस्टम, लाईटिंग सिस्टम, पॉवर सप्लाई सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एयर कंडीशर इत्यादि का दैनिक संचालन एवं देखभाल कार्य।** (निगम मद) (प्रथम निविदा)	**9,01,108/-**	**6,800 /-**	**750/-**	**Form-B**	12 माह	सक्षम श्रेणी	**19.08.2026**

निविदा की शर्तेः–

1. पूर्ण रूप से भरी निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 3:00 तक प्राप्त की जा सकती है एवं उसी दिन साय 4:00 बजे ठेकेदारों या प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहे तो उनके समक्ष खोली जावेगी।
2. निविदा दरे मासिक/वार्षिक दर के आधार पर ही भरी जावे। अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी
3. निविदा के दस्तावेज हाथो–हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा **आयुक्त, नगर पालिक निगम, आई.टी.आई. चौक साकेत भवन, जिला–कोरबा (छ.ग.) पिन नं.–495677** के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 बजे के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
4. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरुप न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
5. निविदा प्रपत्र त्रि–लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगाः–

- प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी, निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तावेज के साथ निविदा सूचना जारी होने के पश्चात् दिनांक का शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क्रमांक अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
- द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
- तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनो लिफाफाएँ होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।

6. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अन्तर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों ने उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो का विवरण राशि निर्धारित प्रारूप में वैध शपथपत्र (राशि रू. 100/–) नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प निविदा आमंत्रण दिनाक के पश्चात का, निविदा कमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. सम्पूर्ण किए गए कार्यों के प्रत्येक देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रोकी जावेगी। जिसे कार्यपूर्णता पश्चात् वापस की जावेगी।
8. निविदा उन्ही ठेकेदारों को दिया जावेगा जिन्हें इस प्रकार के कार्यों का अनुभव होगा।
9. जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (वर्तमान तक वैधता) एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रामपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो ये निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ)एवं विभिन्न प्रावधानों की धारा 1962 के तहत् निविदाकार का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है साथ ही निविदा आमंत्रण दिनांक से विगत 03 माह की अवधि में जागा किये गये TRRN Payment Details चालान की प्रति प्रस्तुत करना तथा ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

क्रमशः............02

10. निविदा में सफल निविदकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि रू. 10.00 लाख या उससे अधिक है, उनको प्रत्येक कार्यों हेतु पृथक से छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शतों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्भतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थ्यति में देयक भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
11. निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेस गांरटी के रूप में कार्य के अनुबंध संपादन के पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर/टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा जो माग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे खनिज विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
14. कार्य प्रारंभ नही करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध वह समय में एमआइसी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी ठेकेदार की होगी ।
15. उक्त कार्य में लगे श्रमिको को विद्युत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, एवं किसी प्रकार से दुर्घटना होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
16. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गए कार्यों के देयकों का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जावेगा।
17. निविदा अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
18. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
19. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
20. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित विद्युत शाखा से प्राप्त किये जा सकते है।
21. उपरोक्त तिथि में कोई शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावेगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

प्रतिलिपि :– प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम ....

पूर्ण पता ....

....

मोबाईल नं.– ....

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

ABSTRACT

Sub :- डे टू डे मेंटेंस के अंतर्गत कोसाबाड़ी जोन अंतर्गत स्थित अत्याधुनिक सभागृह में स्थापित डी.जी. सेट, साउण्ड सिस्टम, लाईटिंग सिस्टम, पावर सप्लाई सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एयर कंडिस्नर इत्यादि का दैनिक संचालन एवं देखभाल।

No.	Item of Work	Unit	Rate	Qty	Amount
1	डे टू डे मेंटेंस के अंतर्गत कोसाबाड़ी जोन अंतर्गत स्थित अत्याधुनिक सभागृह में स्थापित डी.जी. सेट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाईटिंग सिस्टम, पावर सप्लाई सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडिस्नर इत्यादि का दैनिक संचालन एवं देखभाल। (1). डी.जी. सेट का देखभाल रू– जैसे डीजल चेक करना, इंजन ऑयल, कुलेन्ट चेक करना, बैटरी चेक करना, पैनल चेक करना, किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट चेक करना एवं ऑयल डीजल कुलेन्ट लीकेज इत्यादी का संचालन एवं कार्यक्रम के समय जनरेटर चालू करना एवं कार्यक्रम संपाति पश्चात् बंद करना। (2). साउण्ड सिस्टम का देखभाग एवं प्रोग्राम के समय संचालन एवं समय समय पे स्पीकर एम्लीफायर, माईक इत्यादी का संचालन एवं एवं कार्यक्रम के समय जनरेटर चालू करना एवं कार्यक्रम संपाति पश्चात् बंद करना। (3). विद्युत उपकरणों का देखभाल जैसे सभी प्रकार के लाईट, पंखा, मेन स्वीच चेंज ओव्हर, मेन पावर केबल इत्यादी का समय–समय पर संचालन एवं देखभाल (4). ऐयर कंडिश्नर सिस्टम को कार्यक्रम के समय चालू करना एवं सूचारू रूप से चलाने एवं कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात् बंद करना। (5). सभा गृह में लगे सभी विद्युत उपकरणों को कार्यक्रम के दौरान सुचारू रूप से संचालन एवं कार्यक्रम के पहले नियमित जांच कर कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात् बंद कराने हेतु।	Month			

Sub. Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)

Asst. Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)

Executive Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)